बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में सोमवार, तिथि ६ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के दशम् सत्र (जुलाई-अगस्त १९६५) के शेष ८७० तारांकित प्रश्नों में से ९१ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध आवेदन-पत्र।

१। श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध में आवेदन-पत्र श्री लक्ष्मीनारायण ने तारीख १३ अक्तूबर १९६४ को मुख्य मंत्री, कमिश्नर, तिरहुत प्रमंडल और जिलाधिकारी, दरभंगा के पास भेजा था; यदि हां, तो सरकार ने इस पर कौन-सी कार्रवाई अबतक की है; यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री नवल किशोर सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री शशिभूषण त्रिपाठी के विरुद्ध श्री लक्ष्मीनारायण के दिनांक १३ अक्तूबर, १९६४ को आवेदन-पत्र पर जिला दंडाधिकारी, दरभंगा से एक प्रतिवेदन आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल द्वारा मांगी गयी है। अभी प्रतिवेदन नहीं आया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी।

*श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—कब रिपोर्ट मांगी गयी थी?

श्री नवल किशोर सिंह—मार्च, १९६५ में।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—प्रश्न पूछने के बाद या पहले?

श्री नवल किशोर सिंह—प्रश्न पूछने के पहले, लेकिन उत्तर आने में विलम्ब जरूर हुआ है।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—देर क्यों हुई है ?

श्री नवल किशोर सिंह—स्थानीय पदाधिकारियों के कार्य के बोझ के कारण ।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—देर होने का कारण यह तो नहीं है कि बी० डी० ओ० से रिपोर्ट मांगी गयी है जिसे भेजने में देर हो रही है ?

श्री नवल किशोर सिंह—अगर बी० डी० ओ० के यहां से इन्क्वायरी की रिपोर्ट आयेगी तो हम उसको नहीं मानेंगे ।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—कब तक इसकी आशा की जा सकती है ?

श्री नवल किशोर सिंह—यथासंभव, शीघ्र ।

श्री शकूर अहमद—क्या इतनी देर इसलिए की जा रही है कि इन्क्वायरी का जो परपस है वह डिफीट हो जाय ?

श्री नवल किशोर सिंह—मैं इसको मानता हूँ कि जब एलिगेशन आया हो तो इन्क्वायरी जल्दी होनी चाहिए ।

श्री शकूर अहमद—सन् १९६४ से लेकर आज १ वर्ष हो गया है तो क्यों नहीं जल्दी हो रही है ?

श्री नवल किशोर सिंह—इन्क्वायरी-रिपोर्ट आने पर हम इसकी भी जांच करायेंगे ।

*श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—चार्जेज गम्भीर हैं, जांच शीघ्र होनी चाहिए ।

श्री नवल किशोर सिंह—चार्जेज बहुत गम्भीर हैं, ऐसा हमने अनुमान नहीं किया है । जो चार्जेज हैं उनकी जांच हो रही है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—संगीन चार्जेज नहीं हैं, यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री नवल किशोर सिंह—इसकी जांच हुई है । संगीन चार्जेज नहीं हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री नवल किशोर सिंह—जो आरोप आये हैं, उससे ।

*श्री रामानन्द यादव—क्या-क्या चार्जेज हैं ?

श्री नवल किशोर सिंह—चार्जेज ये हैं कि वे राजनीतिक कारणों में भाग लेते हैं और सीमेंट और चीनी का ठीक से वितरण नहीं करते हैं, रात्रि निवास गांवों में नहीं करते हैं, वसूली का काम भी ठीक से नहीं करते हैं, को-आपरेटिव सोसाइटियों का प्रबन्ध ठीक से नहीं करते हैं, सीमेंट का कोटा जल्दी बांटना नहीं चाहते हैं, इनकी मनोवृत्ति तानाशाही है आदि-आदि।

श्री राजमंगल मिश्र—जब उनपर चार्जेज प्रूफ हो गया तो उन्हें वहीं से हटाया क्यों नहीं गया ?

श्री नवल किशोर सिंह—मैंने यह नहीं कहा कि चार्जेज प्रूफ हो गया।

श्री राजमंगल मिश्र—वह बी० डी० ओ० उसी ब्लौक में हैं या वहां से चले गये ?

श्री नवल किशोर सिंह—आरोप सिद्ध हो चुका है। हम सब की जांच करायेंगे।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि बी० डी० ओ० जैसा कि माननीय सदस्यों का अनुभव है, अधिकतर बेलगाम के घोड़े बनते जा रहे हैं, खास-खास अभियोग बी० डी० ओ० के विरुद्ध आने पर क्या सरकार विचार करेगी कि जल्द-से-जल्द उन अभियोगों की जांच करावें और उचित कार्रवाई करे ताकि उनमें सुधार हो ?

श्री नवल किशोर सिंह—प्रश्न के प्रथम अंश के बारे में मुझे कहना है कि वे घोड़े हैं, लेकिन बिना लगाम के नहीं.....

अध्यक्ष—हमलोगों का बचपन का अनुभव है कि हमलोग बेलगाम के घोड़े पर भी चढ़ जाते थे।

श्री नवल किशोर सिंह—प्रश्न के दूसरे अंश के बारे में मुझे कहना है कि जब भी अभियोग आते हैं, उनकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद, मेरा तजरबा है कि उन्हें दंडित किया जाता है। इन्हीं अभियोगों की जांच करने के उपरान्त बहुत से सब-डिप्टी कलक्टर्स को डिप्टी कलक्टर्स में प्रमोशन नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष—मैं राज्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस जांच में आवश्यकता से अधिक ध्यान दें।

श्री नवल किशोर सिंह—स्वीकार है।

तारांकित प्रश्न संख्या २ के सम्बन्ध में।

श्री नवल किशोर सिंह—इसके लिये समय चाहिये।

*श्री कपिलदेव सिंह—इस प्रश्न का उत्तर सचिवालय से ही आना है तो क्यों समय चाहिए।

अध्यक्ष—शायद रांची से इसका उत्तर आने में विलम्ब हुआ हो।

श्री कपिलदेव सिंह—इसका उत्तर बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। इसलिये जवाब मिलना चाहिए।

अध्यक्ष—हां, अवश्य जवाब मिलना चाहिये।

वैशाली के विकास पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप।

३। श्री वटेश्वर प्रसाद—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड के विकास पदाधिकारी के विरुद्ध वहां के स्थानीय लगभग ३०० व्यक्तियों द्वारा एक लिखित शिकाय-पत्र अध्यक्ष, बिहार राज्य भ्रष्टाचार निरोध विभाग के पास निबंधित पत्र दिनांक २५ अगस्त १९६५ के द्वारा दिया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि इसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री तथा अन्य उच्चाधिकारीगण के पास सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी थी;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त शिकायत-पत्र में ४२ तरह की शिकायत की सूचनायें थीं;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो उस शिकायत-पत्र के ऊपर कौन-सी कार्रवाई की गयी है?

श्री नवल किशोर सिंह—(१) उत्तर 'हां' में है।

(२) उत्तर 'हां' में है।

(३) उत्तर 'हां' में है।

(४) गोपनीय जांच की जा रही है।

*श्री वटेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि यह गोपनीय जांच कबतक चलेगी?

श्री नवल किशोर सिंह—कबतक चलेगी इसमें भी गोपनीयता का उल्लंघन हो जायेगा।

श्री वटेश्वर प्रसाद—क्या वह वी० ओ० ओ० हैं या चले गये?

श्री नवल किशोर सिंह—हैं।